प्रस्तावना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायनों संबंधी स्थायी समिति के विभाजन के परिणामस्वरूप 05.08.2004 से अस्तित्व में आई थी। तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायनों संबंधी समिति का पहली बार 08.04.1993 को गठन हुआ था।

गठन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है। यह लोक सभा सचिवालय द्वारा संचालित की जाती है। समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें लोक सभा के 21 सदस्य होते हैं जिनको लोक सभा के सदस्यों में से लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है तथा राज्य सभा के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के 10 सदस्यों को इसमें नामनिर्दिष्ट किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा समिति के लोक सभा सदस्यों में से समिति के सभापति की नियुक्ति की जाती है। कोई मंत्री विभागों से संबद्ध किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होता है और यदि किसी सदस्य को समिति में नामनिर्देशन के पश्चात नियुक्त मंत्री किया जाता है तो वह इस नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। समिति के गठन की तारीख से समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

कृत्य

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:–

क. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और दोनों सदनों के लिए इस बारे में प्रतिवेदन करना,

ख. माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए उपर्युक्त मंत्रालय से संबंधित विधेयकों की जांच करना तथा उन पर प्रतिवेदन तैयार करना,

ग. मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उस पर प्रतिवेदन तैयार करना, तथा

घ. सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय मूल दीर्घकालिक नीति प्रलेखों, यदि इन्हें राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समिति को भेजा गया हो, पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन तैयार करना।

अनुदानों की मांगों के विचार से संबंधित कार्यात्मक प्रक्रिया

हरेक वर्ष, सभा में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद दोनों को सभाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। समिति, उपर्युक्त अवधि के दौरान, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है तथा दी गई समय–सीमा के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है।

विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया

समिति किसी भी सदन में पुरःस्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, इसे सौंपा जाता है। समिति, उसे सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों तथा खंडों पर विचार करती है तथा दी गई समय–सीमा के भीतर उस पर प्रतिवेदन तैयार करती है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच

अनुदानों की मांगों तथा समिति को सौंपे गए विधेयकों पर विचार करने के अलावा, समिति मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों, जो समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर हो, के आधार पर विषयों का जांच हेतु चयन करती है।

प्रतिवेदन एवं कार्यवाही सारांश

समिति द्वारा जांचे गए विषयों के संबंध में उसकी टिप्पणियां/सिफारिशें उसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होती हैं जिनको समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन (केवल मूल पाठ का) के बाद सभापति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तथा संबंधित सभा के सदस्यों द्वारा उनको प्राधिकृत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदनों के साथ सभाओं में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने 16वीं लोक सभा तक 115 प्रतिवेदन* प्रस्तुत किए हैं।

की–गई–कार्रवाई प्रतिवेदन

अनुदानों की मांगों तथा अन्य विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों के बारे में, संबंधित मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है वह प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करे तथा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह के भीतर उन पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करे।

समिति द्वारा मंत्रालय से प्राप्त होने वाले की गई कार्रवाई टिप्पणों की जांच की जाती है तथा उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

की–गई–कार्रवाई विवरणों को सभा पटल पर रखना

सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाले उत्तरों के अध्याय–एक में तथा की–गई–कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय–पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को विवरणों के रूप में दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है/सभा पटल पर रखा जाता है।

निदेश 73क के अंतर्गत मंत्री द्वारा वक्तव्य देना

लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 73क के संबंध में, संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में, छह माह में एक बार सभा में वक्तव्य देता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थायी समितियों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है।

स्थायी समिति की शुरूआत अर्थात 2004 से सभापतियों की सूची

1. श्री एन. जर्नादन रेड्डी (अगस्त 2004 से फरवरी 2009)
2. श्री अरूण कुमार वुंडावली (अगस्त 2009 से मई 2014)
3. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी (सितम्बर 2014 से मई 2019)
4. श्री रमेश बिधूड़ी (सितम्बर 2019 से आज तक)

*इसमें तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायनों संबंधी स्थायी समिति और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल है।